



हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़

की

छत्तीसवीं बोर्ड बैठक

हेतु

कार्य-सूची

दिनांक: 29 / 03 / 2010

समय: 04:30 बजे अपराह्ण

स्थान:-

सभागार, कार्यालय, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ

हापुड़—पिलखुवा विकास प्राधिकरण
 की
छत्तीसवीं बोर्ड बैठक
विषय सूची

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ सं०
01	प्राधिकरण की पैंतीसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 20/02/2010 की कार्यवाही की पुष्टि।	1
02	प्राधिकरण की पैंतीसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 20/02/2010 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या।	2-5
03	वित्तीय वर्ष 2009-10 का पुनरीक्षित तथा वर्ष 2010-11 का प्रस्तावित आय-व्ययक।	6
04	अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	7

विषय: प्राधिकरण की पैतीसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 20/02/2010 की कार्यवाही की पुष्टि।

प्रस्ताव: हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की पैतीसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 20/02/2010 के कार्यवृत्त की प्रतियाँ सभी सदस्यों को प्रेषित की गयी हैं। भेजे गये कार्यवृत्त के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्राधिकरण की पैतीसवीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि होती है। बोर्ड बैठक दिनांक 20/02/2010 का कार्यवृत्त पुनः बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है।



हापुड़—पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़

प्राधिकरण की दिनांक 20 फरवरी 2010 को सम्पन्न हुई^र
पैंतीसवीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त

स्थान:— कैम्प कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ

दिनांक: 20 फरवरी 2010

समय— 03:00 बजे अपराह्न

सुनियोजित विकास "आपकी आशा — हमारा ध्येय":

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की पैंतीसवीं बोर्ड


बैठक दिनांक 20/02/2010 का कार्यवृत्त :

दिनांक 20/02/2010 को आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सभागार, कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ में प्राधिकरण बोर्ड की पैंतीसवीं बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-


1	श्री श्रवण कुमार शर्मा	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ	अध्यक्ष
2	श्री जे० सी० आदर्श	उपाध्यक्ष, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़	उपाध्यक्ष
3	श्री सर्वजीत राम	अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) (प्रतिनिधि: जिलाधिकारी, गाजियाबाद)	सदस्य
4	श्री हरे नारायण शुक्ल	अपर निदेशक, कोषागार, मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रतिनिधि: वित्त सचिव, उ० प्र० शासन, लखनऊ)	सदस्य
5	श्री रवि रस्तौगी	अधीक्षण अभियंता, उ० प्र० जल निगम, मेरठ	सदस्य
6	श्री डी० सी० गुप्ता	सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ (प्रतिनिधि: मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ)	सदस्य
7	श्री हितेश कुमार	सहायक वास्तुविद नियोजक, एन० सी० आर० सेल, गाजियाबाद (प्रतिनिधि: आयुक्त, एन० सी० आर० सेल, गाजियाबाद)	सदस्य
8	श्री योगेश माथुर	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बुलन्दशहर	सदस्य
9	श्री भारत कुमार	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, पिलखुवा	सदस्य
10	श्री वेद प्रकाश सिंह	सचिव, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़	सचिव

विशेष आमंत्री

1	श्री कल्याण सिंह	वित्त नियंत्रक, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़
2	श्री आर० के० सिंह	मुख्य अभियंता, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़
3	श्री एस० के० गौतम	नगर नियोजक, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़


उपाध्यक्ष 25.2.2010

जे० सी० आदर्श
उपाध्यक्ष
हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण


अध्यक्ष

बैठक का कार्यवृत्त व् निर्णय निम्नानुसार हैं:-

मद सं.	विषय	निर्णय
1	प्राधिकरण की चौंतीसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 04/09/2009 की कार्यवाही की पुष्टि।	चौंतीसवीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2	प्राधिकरण की चौंतीसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 04/09/2009 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या।	चौंतीसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 04/09/2009 की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी एवं निम्न के अतिरिक्त अनुमोदन प्रदान किया गया। मद सं०- 3 अर्जन प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी, गाजियाबाद स्तर से निस्तारित कराकर शासन को प्रेषित कराया जाये। मद सं०- 4 अर्जन प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी, गाजियाबाद स्तर से निस्तारित कराकर शासन को प्रेषित कराया जाये।
3	प्राधिकरण की सिटी सेन्टर योजना के प्रस्ताव को समाप्त करने के संबंध में।	प्रस्ताव इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि (1) योजना समाप्त किये जाने की संस्तुति करते हुए यदि शासन की सहमति हो, तो धारा 4/17 का प्रस्ताव वापस ले लिया जाये तथा प्रस्तावित हापुड़ महायोजना-2021 में सिटी सेन्टर योजना हेतु अलग से स्थल आरक्षित किया जाये। (2) अर्जन व्यय से होने वाली क्षतिपूर्ति के संबंध में शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त कर लिये जायें।
4	आनन्द विहार विस्तार आवासीय योजना के अर्जन प्रस्ताव से 6.4114 हेक्टेयर भूमि को अर्जन से पृथक किये जाने के संबंध में।	प्रस्ताव इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि जिलाधिकारी, गाजियाबाद से इस आशय का प्रमाण पत्र ले लिया जाये कि कम्पनी को बायोटेक प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु 13.675 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। प्रस्तावित स्थल का भू-उपयोग उद्योग ही रखा जाये।

2-2010
उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

5	आनन्द विहार विस्तार योजना के अन्तर्गत मै0 मैरिनो इण्डस्ट्रीज को दिये जाने हेतु प्रस्तावित 25 एकड़ भूमि के मध्य स्थित ग्राम अच्छेजा के खसरा नं0 693मि0, क्षेत्रफल 0.9890 हेक्टेयर के अर्जन के संबंध में।	यदि स्थल पर उद्योग की स्थापना की जाती है, तो प्राधिकरण की 28वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही की जाये।
6	मै0 मैरिनो इण्डस्ट्रीज लि0, हापुड़ को प्रीत विहार विस्तार योजना में दी जाने वाली 6 एकड़ भूमि की दर निर्धारण के संबंध में।	पूर्व में प्राधिकरण बोर्ड की 11वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03 / 12 / 2003 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाये तथा शासन से भी सहमति ले ली जाये।
7	प्राधिकरण की आनन्द विहार द्वितीय चरण योजना के मध्य स्थित नाले के दोनो ओर स्थित 60 मीटर चौड़ी ग्रीन बैल्ट के अर्जन के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
8	इन्टीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लान्ट का कार्य किये जाने हेतु मै0 रेबन फूड्स प्रा0 लि0 के लिए खसरा नं0 925, 926, 1083, 1084 / 2, 1085, 1086, 1159 / 2, 1160 / 1 ग्राम हापुड़ खास, परगना व तहसील- हापुड़, क्षेत्रफल 3.1214 हेक्टेयर का भू-उपयोग क्षेत्रीय पार्क से "औद्योगिक" में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद का परीक्षण कराकर प्रस्ताव पुनः बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।
9	उ0 प्र0 दुर्बल आय वर्ग (ई0 डब्लू0 एस0) एवं अल्प आय वर्ग (एल0 आई0 जी0) तथा अन्य आय वर्गों को अफोर्डेबिल हाउसिंग उपलब्ध कराने के लिये मानकों के निर्धारण की उपविधि, 2009 के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

24.2.2010
उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

10	आनन्द विहार आवासीय योजना के तलपट मानचित्र में पर्यूचर प्लानिंग में प्रदर्शित भू-भाग के पार्ट तलपट मानचित्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
11	प्राधिकरण की प्रीत विहार प्रथम चरण योजना में सरदार पटेल प्राथमिक शिक्षा सदन को नर्सरी/प्राईमरी स्कूल के आवंटन के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
12	खसरा नं 592 मि०, ग्राम चमरी, परगना व तहसील हापुड़, जनपद गाजियाबाद में मल्टीप्लैक्स के निर्माण की अनुमति हेतु।	मानचित्र स्वीकृति हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।
13	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, अवर अभियंता के पिता के इलाज पर खर्च धनराशि रु० 80526/- के भुगतान के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
14	लेदर सिटी योजना प्रथम चरण के अन्तर्गत ग्राम इमटोरी, परगना व तहसील हापुड़ के खसरा नं 01 क्षेत्रफल 760 मीटर को अर्जन से मुक्त किये जाने के संबंध में।	भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4/17 एवं 6/17 की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। अतः बोर्ड द्वारा इस प्रकरण में निर्णय लिया जाना उचित नहीं होगा।
15	पिलखुवा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गालन्द में मै० अर्चित स्टील प्रा० लि० की भूमि का भू-उपयोग "कृषि" से "औद्योगिक" में परिवर्तित किया जाने के संबंध में।	पिलखुवा महायोजना-2021 के दृष्टिगत परीक्षण किया जाये।

19.2.2010
उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

जे० स्नी० आदर्श

उपाध्यक्ष

हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण

16	<p>अतिरिक्त मद सं- 01 "विशेष अनुमति से अनुमन्य" कियाओं सम्बन्धी प्रस्ताव।</p>	<p>क्रम सं- 01 अनुमोदित तथा क्रम सं- 02-12 के संबंध में शमन उपविधि-2009 में संशोधन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।।</p>
	<p>अतिरिक्त मद सं- 02 आनन्द विहार योजना हेतु एन० सी० आर० पी० बी० से प्राप्त किये गये ऋण रु० 50.00 करोड़ के सापेक्ष इलाहबाद बैंक, हापुड़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी बैंक गारण्टी के स्थान पर ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स, लोहिया नगर, गाजियाबाद की बैंक गारण्टी उपलब्ध कराने के संबंध में।</p>	<p>प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
	<p>अतिरिक्त मद सं- 03 आर्थिक मंदी की चुनौती से निपटने के संबंध में जारी शासनादेश सं० 1470/77-4-09-142एन./08 औद्योगिक विकास अनुभाग-4, लखनऊ दिनांक 25 अक्टूबर 2009 को अंगीकृत करने के संबंध में।</p>	<p>प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

१५८-२-२०१०
 (जै० सी० आदर्श)

उपाध्यक्ष
 हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण
 हापुड़

आदर्श
 उपाध्यक्ष
 हापुड़ चिक्कलुदा विकास प्राधिकरण

(श्रवण कुमार शर्मा)

आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/
 अध्यक्ष, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण
 हापुड़

श्रवण कुमार शर्मा
 आयुक्त
 मेरठ मण्डल, मेरठ/

मद सं०— 02

विषय: प्राधिकरण की पैंतीसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 20/02/2010 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या।

प्रस्ताव: हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की पैंतीसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 20/02/2010 को सम्पन्न हुई। बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या निम्नवत है:-

मद सं०	विषय	निर्णय	अनुपालन आख्या
1	प्राधिकरण की चौंतीसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 04/09/2009 की कार्यवाही की पुष्टि।	चौंतीसवीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।	अनुपालन अवशेष नहीं है।
2	प्राधिकरण की चौंतीसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 04/09/2009 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या।	<p>चौंतीसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 04/09/2009 की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी एवं निम्न के अतिरिक्त अनुमोदन प्रदान किया गया।</p> <p>मद सं०— 3 अर्जन प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी, गाजियाबाद स्तर से निस्तारित कराकर शासन को प्रेषित कराया जाये।</p> <p>मद सं०— 4 अर्जन प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी, गाजियाबाद स्तर से निस्तारित कराकर शासन को प्रेषित कराया जाये।</p>	<p>अपर जिलाधिकारी (भू०अ०), गाजियाबाद को पत्र प्रेषित किया गया है।</p> <p>अपर जिलाधिकारी (भू०अ०), गाजियाबाद को पत्र प्रेषित किया गया है।</p>
3	प्राधिकरण की सिटी सेन्टर योजना के प्रस्ताव को समाप्त करने के संबंध में।	<p>प्रस्ताव इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि (1) योजना समाप्त किये जाने की संस्तुति करते हुए यदि शासन की सहमति हो, तो धारा 4/17 का प्रस्ताव वापस ले लिया जाये तथा प्रस्तावित हापुड़ महायोजना-2021 में सिटी सेन्टर योजना हेतु अलग से स्थल आरक्षित किया जाये।</p> <p>(2) अर्जन व्यय से होने वाली क्षतिपूर्ति के संबंध में शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त कर लिये जायें।</p>	शासन की सहमति एवं दिशा-निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्र दिनांक 20/03/2010 को प्रेषित किया गया है।

4	आनन्द विहार विस्तार आवासीय योजना के अर्जन प्रस्ताव से 6.4114 हेक्टेयर भूमि को अर्जन से पृथक किये जाने के संबंध में।	प्रस्ताव इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि जिलाधिकारी, गाजियाबाद से इस आशय का प्रमाण पत्र ले लिया जाये कि कम्पनी को बायोटेक प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु 13.675 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। प्रस्तावित स्थल का भू-उपयोग उद्योग ही रखा जाये।	जिलाधिकारी, गाजियाबाद को प्रसाण-पत्र हेतु पत्र दिनांक 20/03/2010 को प्रेषित किया गया है।
5	आनन्द विहार विस्तार योजना के अन्तर्गत मै0 मैरिनो इण्डस्ट्रीज को दिये जाने हेतु प्रस्तावित 25 एकड़ भूमि के मध्य स्थित ग्राम अच्छेजा के खसरा नं0 693मि0, क्षेत्रफल 0.9890 हेक्टेयर के अर्जन के संबंध में।	यदि स्थल पर उद्योग की स्थापना की जाती है, तो प्राधिकरण की 28वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही की जाये।	मानचित्र का परीक्षण कर नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है।
6	मै0 मैरिनो इण्डस्ट्रीज लि0, हापुड़ को प्रीत विहार विस्तार योजना में दी जाने वाली 6 एकड़ भूमि की दर निर्धारण के संबंध में।	पूर्व में प्राधिकरण बोर्ड की 11वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03/12/2003 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाये तथा शासन से भी सहमति ले ली जाये।	शासन की सहमति हेतु पत्र दिनांक 20/03/2010 को प्रेषित किया गया है।
7	प्राधिकरण की आनन्द विहार द्वितीय चरण योजना के मध्य स्थित नाले के दोनो ओर स्थित 60 मीटर चौड़ी ग्रीन बैल्ट के अर्जन के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	अर्जन प्रस्ताव अपर जिलाधिकारी (भू030), गाजियाबाद को प्रेषित किया जा चुका है।
8	इन्टीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लान्ट का कार्य किये जाने हेतु मै0 रेबन फूड्स प्रा0 लि0 के लिए खसरा नं0 925, 926, 1083, 1084/2, 1085, 1086, 1159/2, 1160/1 ग्राम हापुड़ खास, परगना व तहसील- हापुड़, क्षेत्रफल 3.1214 हेक्टेयर का भू-उपयोग क्षेत्रीय पार्क से "औद्योगिक" में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद का परीक्षण कराकर प्रस्ताव पुनः बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।	उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) को मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद के परीक्षण हेतु पत्र प्रेषित किये गये हैं।

9	उ० प्र० दुर्बल आय वर्ग (ई० डब्लू० एस०) एवं अल्प आय वर्ग (एल० आई० जी०) तथा अन्य आय वर्गों को अफोर्डेबिल हाउसिंग उपलब्ध कराने के लिये मानकों के निर्धारण की उपविधि, 2009 के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	अनुपालन किया जा रहा है।
10	आनन्द विहार आवासीय योजना के तलपट मानचित्र में पश्चिम प्लानिंग में प्रदर्शित भू-भाग के पार्ट तलपट मानचित्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	अनुपालन अवशेष नहीं है।
11	प्राधिकरण की प्रीत विहार प्रथम चरण योजना में सरदार पटेल प्राथमिक शिक्षा सदन को नरसरी/प्राईमरी स्कूल के आवंटन के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	आवंटन पत्र निर्गत किया जा चुका है।
12	खसरा नं० 592 मि०, ग्राम चमरी, परगना व तहसील हापुड़, जनपद गाजियाबाद में मल्टीप्लैक्स के निर्माण की अनुमति हेतु।	मानचित्र स्वीकृति हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।	मानचित्र का परीक्षण कर नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है।
13	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, अवर अभियंता के पिता के इलाज पर खर्च धनराशि रु० 80526/- के भुगतान के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	अनुपालन किया जा चुका है।
14	लेदर सिटी योजना प्रथम चरण के अन्तर्गत ग्राम इमटोरी, परगना व तहसील हापुड़ के खसरा नं० 01 क्षेत्रफल 760 मीटर को अर्जन से मुक्त किये जाने के संबंध में।	भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4/17 एवं 6/17 की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। अतः बोर्ड द्वारा इस प्रकरण में निर्णय लिया जाना उचित नहीं होगा।	अनुपालन अवशेष नहीं है।

15	पिलखुवा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गालन्द में मै0 अर्चित स्टील प्रा0 लि0 की भूमि का भू-उपयोग "कृषि" से "औद्योगिक" में परिवर्तित किया जाने के संबंध में।	पिलखुवा महायोजना-2021 के दृष्टिगत परीक्षण किया जाये।	निर्णयानुपालन में परीक्षणोपरान्त प्रश्नगत भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव आचित्यपूर्ण न पाये जाने के कारण निरस्त कर दिया गया है।
16	अतिरिक्त मद सं0- 01 "विशेष अनुमति से अनुमन्य" कियाओं सम्बन्धी प्रस्ताव।	क्रम सं.- 01 अनुमोदित तथा क्रम सं.- 02-12 के संबंध में शमन उपविधि-2009 में संशोधन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।।	शासन को पत्र प्रेषित कर दिया गया है।
	अतिरिक्त मद सं0- 02 आनन्द विहार योजना हेतु एन0 सी0 आर0 पी0 बी0 से प्राप्त किये गये ऋण रु0 50. 00 करोड़ के सापेक्ष इलाहबाद बैंक, हापुड़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी बैंक गारण्टी के स्थान पर ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स, लोहिया नगर, गाजियाबाद की बैंक गारण्टी उपलब्ध कराने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	प्राधिकरण स्तर से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर बैंक को उपलब्ध करा दी गयी हैं। बैंक द्वारा बैंक गारण्टी निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
	अतिरिक्त मद सं0- 03 आर्थिक मंदी की चुनौती से निपटने के संबंध में जारी शासनादेश सं0 1470 / 77-4-09-142 एन./08 औद्योगिक विकास अनुभाग-4, लखनऊ दिनांक 25 अक्टूबर 2009 को अंगीकृत करने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	अनुपालन किया जा रहा है।

विषय: वित्तीय वर्ष 2009-10 का पुनरीक्षित तथा वर्ष 2010-11 का प्रस्तावित आय-व्ययक।

प्रस्ताव:

प्राप्ति पक्ष— वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु राजस्व प्राप्ति मद में ₹0 2,033.00 लाख तथा पूंजीगत प्राप्ति मद में ₹0 18,269.00 लाख, कुल ₹0 20,302.00 लाख की प्राप्ति के लक्ष्य के सापेक्ष माह फरवरी 2010 तक राजस्व प्राप्ति मद में ₹0 1,734.25 लाख तथा पूंजीगत प्राप्ति मद में ₹0 7,523.58 लाख, कुल ₹0 9,257.83 लाख की प्राप्ति हुई। प्राप्ति कम होने का मुख्य कारण एन० सी० आर० पी० बी०, नई दिल्ली से ₹0 3,000.00 लाख का ऋण प्राप्त न होना एवं बल्क सेल में भूमि का विक्रय न होना रहा। वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु ₹0 10,890.90 लाख का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु ₹0 19,968.26 लाख की प्राप्ति का अनुमान है।

व्यय पक्ष— वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु राजस्व व्यय मद में ₹0 578.30 लाख तथा पूंजीगत व्यय मद में ₹0 22,285.60 लाख, कुल ₹0 22,863.90 लाख के व्यय के लक्ष्य से सापेक्ष माह फरवरी 2010 तक ₹0 525.49 लाख तथा पूंजीगत व्यय मद में ₹0 12,804.28 लाख का व्यय हुआ। व्यय कम होने का मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण के मद में व्यय कम होना रहा। अतः वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु ₹0 15,009.25 लाख का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु ₹0 22,832.98 लाख के व्यय का अनुमान है।

माह फरवरी 2010 तक के आय-व्ययक के आंकडे अनन्तिम हैं। अतः उपरोक्तानुसार वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित एवं वर्ष 2010-11 के प्रस्तावित आय-व्ययक का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

हापुड़—पिलखुवा विकास प्राधिकरण

प्रीत विहार, दिल्ली रोड, हापुड़

वित्तीय वर्ष 2009–10 का पुनरीक्षित
एवं

2010–11 का प्रस्तावित आय–व्ययक



ISO 9001:2000

उपाध्यक्ष
हापुड़—पिलखुवा विकास प्राधिकरण

सुनियोजित विकास “आपकी आशा – हमास ध्येय”
हापुड़—पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़

विषय-सूची

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	01
2	संगठन एवं स्थापना	02
3	उद्देश्य एवं कार्य-कलाप	03
4	पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत लोक शिकायतों का समयबद्ध समाधान	04
5	हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण योजनाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी	05-07
6	प्राप्ति एवं व्यय एक दृष्टि में	08
7	राजस्व प्राप्तियां	09
8	पूंजीगत प्राप्तियां	10
9	राजस्व व्यय	11-12
10	पूंजीगत व्यय बजट पर संक्षिप्त टिप्पणी	13 14
13	राजस्व प्राप्ति के प्रस्तावों पर संक्षिप्त टिप्पणी	15
11	पूंजीगत प्राप्ति के प्रस्तावों पर संक्षिप्त टिप्पणी	16-17
14	राजस्व व्यय के प्रस्तावों पर संक्षिप्त टिप्पणी	18
12	पूंजीगत व्यय के प्रस्तावों पर संक्षिप्त टिप्पणी	19-20

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़

प्रस्तावना:-

"हापुड़" राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उ० प्र० सब रीजन के चार "प्राथमिकता शहरों" में से एक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत दिल्ली में तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या एवं आवासीय समस्या के निदान करने हेतु हापुड़ नगर की योजना तैयार की गयी है। इस नगर का विकास प्राथमिकता के आधार पर करने एवं 4.50 लाख की आबादी हेतु आवश्यक धन उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार की अधिसूचना 4523 / 9—आवास—5—96—997—डी.ए.—89 दिनांक 21 नवम्बर, 1996 द्वारा हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है।

शासन के नोटिफिकेशन सं 3261(1)/आठ-6-05-3गठन/01 लखनऊ दिनांक 02 दिसम्बर 2005 के द्वारा गढ़मुक्तेश्वर-बृजघाट विकास क्षेत्र के 13 ग्रामों को भी हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के प्रशासनिक नियंत्रण में सम्मिलित किया गया। तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद के 14 ग्रामों, तहसील गाजियाबाद जिला गाजियाबाद के 04 ग्रामों एवं तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद के 08 ग्रामों सहित कुल 26 ग्रामों को शासन के नोटिफिकेशन सं 322/आठ-6-08-997डी०१०/89 दिनांक 08/02/2008 द्वारा प्राधिकरण विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। तदोपरान्त शासन के नोटिफिकेशन सं 2980/आठ-6-09-997डी०१०/89 लखनऊ दिनांक 24 सितम्बर 2009 द्वारा तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद के 20 ग्रामों तथा तहसील गढ़मुक्तेश्वर जिला गाजियाबाद के 24 ग्रामों को भी प्राधिकरण विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में कुल 134 ग्राम हैं।

प्राधिकरण अपने उद्देश्य एवं जनआकांक्षाओं के अनुसार कार्य कलापों की प्रतिपूर्ति हेतु कठिबद्ध है। हापुड़ एवं पिलखुवा दोनों शहर में आवासीय एवं व्यवसायिक समस्याओं के निदान हेतु सुनियोजित ढंग से विकास एवं भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा प्रीत विहार प्रथम चरण योजना, प्रीत विहार द्वितीय चरण योजना एवं टेक्सटाइल सेन्टर योजना का विकास कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है।

आनन्द विहार आवासीय योजना में विभिन्न श्रेणी के भूखण्डों का विकास कार्य तेजी से कराया जा रहा है तथा दुर्बल आय वर्ग के भवनों का निर्माण कार्य वर्ष 2010-11 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। प्राधिकरण द्वारा हापुड़ में प्रीत विहार विस्तार योजना में भूमि अध्यापिकी की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 में विकास कार्य तेजी से किये जाने का लक्ष्य है।

संगठन एवं स्थापना:-

1	आयुक्त, मेरठ मण्डल।	अध्यक्ष – पदेन
2	आयुक्त-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ० प्र०।	सदस्य – पदेन
3	राज्य सरकार के आवास विभाग का सचिव या उसका नाम निदेशिती	सदस्य
4	उपाध्यक्ष-हापुड-पिलखुवा विकास प्राधिकरण।	उपाध्यक्ष-पदेन
5	राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव या उसका निदेशिती जो उपसचिव के स्तर से निम्न न हो।	सदस्य
6	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ० प्र० लखनऊ या उनका नाम निदेशिती, जो नगर योजनाकार से निम्न स्तर का न हो।	सदस्य
7	जिला मजिस्ट्रेट – गाजियाबाद।	सदस्य
8	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम उ० प्र० या उसका नाम निदेशिती जो अधीक्षण अभियंता के स्तर से अनिम्न हो।	सदस्य
9	मुख्य समन्वय नियोजक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सेल, गाजियाबाद	सदस्य
10	प्रमुख अभियंता – लोक निर्माण विभाग उ० प्र० या उसका नाम निदेशिती जो अधीक्षण अभियंता निम्न स्तर का न हो।	सदस्य
11	अध्यक्ष-नगर पालिका परिषद, पिलखुवा / हापुड जनपद-गाजियाबाद।	सदस्य

उद्देश्य एवं कार्य-कलापः—

हापुड़—पिलखुवा विकास प्राधिकरण के मुख्यतः निम्न कार्य हैं।

- 1— महायोजना तैयार करना।
- 2— भूमि अर्जन।
- 3— नियोजन।
- 4— सुनियोजित विकास।
- 5— सृजित सम्पत्ति का निस्तारण।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य निम्नवत हैं—

- 1— अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही करना।
- 2— आवासीय समस्या के निदान हेतु आवासीय इकाईयों का निर्माण करना।
- 3— नगर के सौन्दर्यकरण हेतु कार्य करना।
- 4— पेयजल व्यवस्था।
- 5— जल—निकासी।
- 6— पर्यावरण सुधार हेतु वृक्षारोपण।
- 7— समस्त नगरीय मूलभूत सुविधाओं का विकास एवं अनुरक्षण।
- 8— मनोरजन स्थलों का विकास करना।
- 9— पर्यटन स्थलों का विकास करना।
- 10—पुलिस चौकी, हास्पिटल, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, बैंक आदि की व्यवस्था करना।

हापुड़—पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1996 के अन्त से कार्य प्रारम्भ किया तथा सभी सेवा कार्य उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। प्राधिकरण की इस प्रगति हेतु जो जन सहयोग प्राप्त हुआ, उससे जहाँ एक ओर जनोपयोगी कार्यों के विस्तार व संचालन में सहायता मिली, वहीं दूसरी ओर अपने कर्मचारियों की कार्यक्षमता का भी पूर्ण उपयोग कर सकने में समर्थ हुआ।

पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत लोक शिकायतों का समयबद्ध समाधान

- 1 पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जनता की सुविधा के लिए वेबसाईट : www.hpdataonline.com तथा ई-मेल : hpda_1@rediffmail.com सचालित की गयी है।
- 2 लोक सूचना अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्राधिकरण में लोक सूचना कार्यालय का गठन किया गया है तथा कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण कर आवेदकों को वांछित सूचनाएं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं।

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण योजनाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र के नियोजित विकास के उद्देश्य से आवासीय एवं आद्योगिक योजनायें विकसित की जा रही हैं। प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित योजनायें विकसित की जा रही हैं—

- 1 प्रीत विहार प्रथम चरण आवासीय योजना
- 2 प्रीत विहार द्वितीय चरण आवासीय योजना
- 3 टेक्सटाइल सेन्टर योजना
- 4 आनन्द विहार आवासीय योजना

- 1 **प्रीत विहार प्रथम चरण आवासीय योजना:**— यह योजना 143.50 एकड़ में विकसित की गयी है। योजना में विभिन्न श्रेणी के भूखण्ड विकसित किये गये हैं तथा दुर्बल आय वर्ग भवनों का निर्माण किया गया है। योजना के विकास कार्य लगभग पूर्ण कर लिये गये हैं।
- 2 **प्रीत विहार आवासीय योजना फेज-2:**— उक्त योजना में अच्छेजा ग्राम की भूमि आती है, उक्त योजना पूर्व में फल सब्जी मण्डी योजना के लिये प्रस्तावित की गयी थी, जिसमें दिल्ली की आजादपुर मण्डी लाने का प्रस्ताव एन.सी.आर. के सहयोग से प्रस्तावित था। परन्तु आजादपुर मण्डी के स्थानान्तरण की प्रक्रिया सम्भव न हो पाने के कारण आवासीय योजना प्रीत विहार योजना फेज-2 के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। योजना का क्षेत्रफल 19.784 हैक्टेयर है। योजना के विकास कार्य लगभग पूर्ण कर लिये गये हैं।
- 3 **टेक्सटाइल सेन्टर योजना:**— पिलखुवा नगर, जनपद गाजियाबाद का एक महत्वपूर्ण नगर है, जिसमें कपड़े की बुनाई, छपाई, रंगाई (चादर पर) तथा तिरपाल रंगाई आदि का कार्य बहुतायात में होता है। यह नगर गाजियाबाद शहर से मात्र 25 कि०मी० तथा देश की राजधानी दिल्ली से मात्र 45 कि०मी० की दूरी पर व दिल्ली मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग — 24 पर स्थित है। उत्तर रेलवे का दिल्ली मुरादाबाद लखनऊ मुख्य रेलमार्ग भी इसी नगर से होकर गुजरता है। पिलखुवा नगर को वस्त्रोदयोग में निर्यातोन्मुखी बनाने के लिये भारत सरकार की योजना टेक्सटाइल सेन्टर फार डबलपमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत अवस्थापना से संबंधित सुविधायें एक ही स्थल पर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से योजना विकसित की गयी है, जिसमें ग्राम ढूहरी, पिपलाबंदपुर पिलखुवा देहात व पिलखुवा शहर की लगभग 46.26 हैक्टेयर भूमि सम्मिलित है। योजना में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत प्रोसेसिंग यूनिट हेतु 128 भूखण्ड एवं वीविंग यूनिट हेतु 68 भूखण्ड विकसित किये गये हैं तथा सी.ई.टी.पी. का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त योजना में कम्यूनिटी सेन्टर, शॉपिंग सेन्टर एवं क्योस्क, फायर स्टेशन आंदि के लिये भी भूखण्ड विकसित किये गये हैं। योजना के अधिकांश विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा अवशेष विकास कार्य वर्ष 2010-11 में पूर्ण करा लिये जाने का लक्ष्य है।

4

आनन्द विहार आवासीय योजना:— प्राधिकरण द्वारा आनन्द विहार आवासीय योजना लगभग 192.22 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जा रही है। योजना के स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार विभिन्न श्रेणी के 3063 भूखण्ड विकसित किये जा रहे हैं तथा 134 दुर्बल आय वर्ग भवन, 40 निम्न आय वर्ग भवन एवं 100 स्ववित्तपोषित भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 1857 भूखण्ड आवंटित/आरक्षित किये जा चुके हैं तथा 753 भूखण्ड योजना से प्रभावित कृषकों के मध्य आवंटित किये जाने हैं। अवशेष रिक्त भूखण्डों की योजना वर्ष 2010–11 में लायी जानी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त योजना में ग्रुप हाउसिंग, पर्यूचर प्लानिंग/बल्क सेल, व्यवसायिक, शैक्षिक एवं मैडिकल एण्ड हैल्थ फैसिलिटीज आदि के लिये भी भूखण्ड आरक्षित किये गये हैं। योजना का विकास कार्य तेजी से कराया जा रहा है तथा वर्ष 2010–11 में योजना के अधिकांश विकास कार्य पूर्ण करा लिये जाने का लक्ष्य है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित योजनायें विकसित किया जाना प्रस्तावित हैं:-

- 1 प्रीत विहार विस्तार आवासीय योजना
- 2 गढ़मुक्तेश्वर बांगर आवासीय योजना
- 3 आनन्द विहार द्वितीय चरण आवासीय योजना
- 4 आनन्द विहार विस्तार आवासीय योजना
- 5 टेक्सटाइल सेन्टर आवासीय योजना
- 6 टेक्सटाइल सेन्टर विस्तार योजना
- 7 लेदर सिटी औद्योगिक योजना

- 1 **प्रीत विहार विस्तार योजना:**— प्रीत विहार विस्तार योजना हापुड़ में ग्राम अच्छेजा व श्यामनगर की 9.535 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जानी है। पूर्व में यह भूमि बस अडडे के निर्माण हेतु चिन्हित की गयी थी, परन्तु हापुड़ बाई पास का निर्माण शहर से बाहर हो जाने के कारण उक्त स्थान बस अडडा योजना के लिये व्यवहारिक नहीं पाया गया तथा स्थल पर प्रीत विहार विस्तार योजना विकसित की जानी है। योजना का विकास कार्य वर्ष 2010–11 में प्रारम्भ कराये जाने का लक्ष्य है।
- 2 **गढ़मुक्तेश्वर बांगर आवासीय योजना:**— गढ़मुक्तेश्वर-बृजघाट विकास क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम गढ़मुक्तेश्वर बांगर में आवासीय योजना हेतु 34.00 हेक्टेयर भूमि अर्जित की जा रही है, जिस हेतु 30 प्र० भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4/17 की कार्यवाही की जा चुकी है। कृषकों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि के दर के निर्धारण हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2010–11 में विकास कार्य प्रारम्भ कराये जाने का लक्ष्य है।

- 3 **आनन्द विहार द्वितीय चरण आवासीय योजना:**— आनन्द विहार द्वितीय चरण आवासीय योजना हेतु 58.193 हेक्टेयर भूमि के अर्जन का प्रस्ताव उ0 प्र0 भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4/17 की कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, गाजियाबाद को प्रेषित किया गया है। वर्ष 2010-11 में योजना हेतु उ0 प्र0 भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4/17 एवं 6/17 की कार्यवाही पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।
- 4 **आनन्द विहार विस्तार आवासीय योजना:**— आनन्द विहार विस्तार आवासीय योजना हेतु 57.9467 हेक्टेयर भूमि के अर्जन का प्रस्ताव उ0 प्र0 भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4/17 की कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, गाजियाबाद को प्रेषित किया गया है। वर्ष 2010-11 में योजना हेतु उ0 प्र0 भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4/17 एवं 6/17 की कार्यवाही पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।
- 5 **टेक्सटाइल सेन्टर आवासीय योजना:**— यह योजना पिलखुवा में विकसित की जा रही टेक्सटाइल सेन्टर औद्योगिक योजना के निकट स्थित है। योजना हेतु 37.5402 हेक्टेयर भूमि के अर्जन का प्रस्ताव उ0 प्र0 भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4/17 की कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, गाजियाबाद को प्रेषित किया गया है। वर्ष 2010-11 में योजना हेतु उ0 प्र0 भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4/17 एवं 6/17 की कार्यवाही पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।
- 6 **टेक्सटाइल सेन्टर विस्तार औद्योगिक योजना:**— यह योजना पूर्व में विकसित की जा रही टेक्सटाइल सेन्टर योजना से लगी भूमि पर स्थित है। योजना हेतु 25.2405 हेक्टेयर भूमि के अर्जन का प्रस्ताव उ0 प्र0 भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4/17 की कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, गाजियाबाद को प्रेषित किया गया है। वर्ष 2010-11 में योजना हेतु उ0 प्र0 भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4/17 एवं 6/17 की कार्यवाही पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।
- 7 **लेदर सिटी औद्योगिक योजना:**— योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण हेतु भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4/17 एवं 6/17 की कार्यवाही की जा चुकी है तथा योजना के तृतीय चरण हेतु भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4/17 का प्रस्ताव जिलाधिकारी, गाजियाबाद को प्रेषित है। प्रथम एवं द्वितीय चरण योजना के कृषकों से आपसी समझौते के आधार पर प्रतिकर की दर का निर्धारण कर करार पत्र भरवाये जा रहे हैं तथा प्रतिकर का भुगतान अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), सिंचाई, गाजियाबाद के द्वारा किया जा रहा है।

आय -व्ययक -एक दृष्टि में

2010-2011

(रु० लाख मे)

क्र०स०	मद	वास्तविक	वास्तविक	बजट अनुमान	अनन्तिम	पुनरीक्षित बजट	प्रस्तावित बजट
		2007-08	2008-09	2009-10	28.02.10तक	2009-10	2010-11
क	प्रारम्भिक अवशेष	949.37	7032.48	2791.93	7,436.20	7,436.20	3,515.19
ख	प्राप्तियौं						
1	राजस्व प्राप्ति	1770.97	2893.23	2033.00	1,734.25	2,169.50	2,456.89
2	पूँजीगत प्राप्ति	3821.65	10014.49	15269.00	7,007.69	8,402.85	13,511.37
3	ऋण प्राप्ति	5510.37	11897.68	3000.00	515.89	515.89	4,000.00
4	कुल प्राप्तियौं (1+2+3)	11102.99	24805.40	20302.00	9,257.83	11,088.24	19,968.26
5	योग (क+ख)	12052.36	31837.88	23093.93	16,694.03	18,524.44	23,483.45
ग	व्यय						
6	राजस्व व्यय	262.49	562.42	578.30	525.49	592.02	758.80
7	पूँजीगत व्यय	4070.31	16220.49	20167.00	9,950.20	11,022.00	19,533.78
8	ऋण प्रतिदान	687.08	7618.77	2118.60	2,854.08	3,395.23	2,540.40
9	कुल व्यय (6+7+8)	5019.88	24401.68	22863.90	13,329.77	15,009.25	22,832.98
10	अन्तिम अवशेष (5-10)	7032.48	7436.20	230.03	3,364.26	3,515.19	650.47

वित्त नियंत्रक

सचिव

उपाध्यक्ष

राजस्व प्राप्तियाँ

(ल० लाख में)

सं०	आय के शीर्षक	वास्तविक	वास्तविक	बजट अनुमान	अनन्ति	पुनरीक्षित	प्रस्तावित
		2007-08	2008-09	2009-10	28.02.10	2009-10	2010-11
	किराया						
	01.01 लीज किराया/फ़ीहोल्ड	262.30	170.54	150.00	112.35	124.00	150.00
	01.02 भवन का किराया	0.00	0.00	1.00	2.63	2.89	2.89
	योग	262.30	170.54	151.00	114.98	126.89	152.89
2	ब्याज से प्राप्ति						
	2.01 सम्पत्ति की किस्तों पर ब्याज	114.27	103.93	300.00	155.75	180.00	400.00
	2.02 विनियोग पर ब्याज	281.60	510.37	200.00	121.80	156.00	200.00
	योग	395.87	614.30	500.00	277.55	336.00	600.00
3	भवन नियंत्रण की मदो से प्राप्ति						
	3.01 मानचित्र शुल्क	10.68	19.83	30.00	13.2	14.80	20.00
	3.02 शमन शुल्क	52.77	66.59	80.00	61.33	75.00	100.00
	3.03 निरीक्षण शुल्क	10.49	29.43	40.00	11.75	13.00	30.00
	3.04 मलवा शुल्क	9.12	5.93	10.00	5	5.20	10.00
	3.05 विकास शुल्क	527.07	486.93	700.00	471.45	502.00	600.00
	3.06 सुदृढीकरण शुल्क	12.12	11.10	40.00	21.75	23.00	30.00
	3.07 उप विभाजन शुल्क	0.00	21.65	0.00	45.87	45.87	20.00
	3.08 भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क	0.00	162.86	0.00	40.27	40.27	100.00
	3.09 अन्य	10.24	32.56	100.00	160.94	170.00	150.00
	योग	632.49	836.88	1000.00	831.56	889.14	1060.00
4	सम्पत्ति से अन्य प्राप्ति						
	4.01 हस्तांतरण /मुटेशन शुल्क	0.25	0.02	1.00	0.91	0.98	2.00
	4.02 अनुरक्षण शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	4.03 सीवर व वाटर कनेक्शन चार्ज	0.00	0.00	5.00	11.61	12.00	5.00
	4.04 अनिर्माण शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	0.25	0.02	6.00	12.52	12.98	9.00
5	अन्य प्राप्तियाँ						
	5.01 विभिन्न प्रपत्रों/पंजीकरण पुस्तिका की ब्रिकी	20.20	61.46	50.00	17.85	19.00	25.00
	5.02 ठेकेदारों/नवशानवीशों का पंजीकरण/नवीनी०	8.74	39.30	20.00	18.09	18.09	20.00
	5.03 ठेकेदार के बिलो से काटी गयी जमानत धन०		71.96	0.00	74.5	80.00	80.00
	5.04 जमा किस्तों की वापसी पर कटौती से प्राप्ति	4.75	0.17	5.00	3.26	3.46	4.00
	5.05 न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से प्राप्ति	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	5.06 विविध प्राप्ति (स्थायी कटोती, टेस्टिंग फीस, आदि)		8.05	0.00	2.91	2.91	5.00
	योग	33.69	184.94	76.00	116.61	123.46	135.00
6	स्टाम्प ड्यूटी से प्राप्ति	446.37	1090.6	300.00	381.03	681.03	500.00
	कुल राजस्व प्राप्ति	1770.97	2897.23	2033.00	1734.25	2169.50	2456.89

पूंजीगत प्राप्तियाँ

(रु0 लाख में)

मद सं0	आय के शीर्षक	वास्तविक	वास्तविक	बजट अनुमान	अनन्ति	पुनरीक्षित	प्रस्तावित
		2007-08	2008-09	2009-10	28.02.10तक	2009-10	2010-11
10	भूखण्डों की बिक्री						
	10.01 आवासीय भूखण्ड	1191	2821.51	6515.00	4856.13	5684.31	7173.00
	10.02 व्यवसायिक भूखण्ड/ बल्क सेल	1792.55	0.00	4404.00	660.93	744.42	2500.00
	योग	2983.55	2821.51	10919.00	5517.06	6428.73	9673.00
11	भवनों का विक्रय						
	11.01 आवासीय भवन	82.75		300.00	113.85	197.34	1827.37
	11.02 व्यवसायिक भवन			50.00	0.00	0.00	1.00
	योग	82.75		350.00	113.85	197.34	1828.37
12	ऋणों की प्राप्ति						
	12.01 शासन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12.02 हुड़को	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12.03 एम०सी०आर०पी०बी०		5000.00	3000.00	0.00	0.00	2500.00
	12.04 बैंक/ अन्य संस्था	5510.37	6897.68	0.00	515.89	515.89	1500.00
	योग	5510.37	11897.68	3000.00	515.89	515.89	4000.00
13	पंजीकरण धनराशि						
	13.01 भूखण्डों की पंजीकरण राशि	535.92	7183.56	4000.00	1376.78	1776.78	2000.00
	13.02 भवनों की पंजीकरण राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	योग	535.92	7183.56	4000.00	1376.78	1776.78	2200.00
14	अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	डिपाजिट कार्य	219.43	9.42	0.00	0.00	0.00	10.00
	कुल पूंजीगत प्राप्ति	9332.02	21912.17	18269.00	7523.58	8918.74	17711.37

(रु० लाख मे०)

राजस्व व्यय

	व्यय के शीर्षक	वास्तविक	वास्तविक	बजट अनुमान	अनन्ति	पुनरीक्षित	प्रस्तावित
		2007-08	2008-09	2009-10	28.02.10तक	2009-10	2010-11
21	अधिकारी व्यय						
	21.01 वेतन तथा भत्ते	103.67	151.61	210.00	219.86	240.00	300.00
	21.02 पेंशन एवं अवकाश अशदान	0.45	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
	21.03 बोनस	0.45	0.00	1.50	0.00	0.00	1.00
	21.04 ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किये गये कर्मचारी	0.00	0.00	0.00	27.52	30.00	30.00
	योग	104.57	151.61	212.80	247.38	270.00	331.00
22	वाहन अनुरक्षण आदि पर व्यय						
	22.01 वाहन मरम्मत	2.98	2.49	5.00	2.05	2.30	3.00
	22.02 पेट्रोल एवं अन्य तेल	12.62	11.58	16.00	10.64	12.00	12.00
	योग	15.60	14.07	21.00	12.69	14.30	15.00
23	सर्वेक्षण कार्यो पर व्यय (महायोजना)	20.79	10.83	25.00	3.17	3.17	25.00
24	आग्रिम						
	24.01 अस्थायी आग्रिम	0.00	0.00	0.00	2.06	2.06	2.00
	24.02 स्थायी आग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	योग	0.00	0.00	-	2.06	2.06	7.00
25	जमानत धनराशि की वापसी						
	25.01 ठेकेदारों को जमानत राशि	0.00	0.00	0.00	32.74	33.00	50.00
	योग						
26	प्रकीर्ण व्यय						
	26.01 कार्यालय स्टेशनरी/प्रिंटिंग	8.96	13.87	22.00	13.52	17.00	20.00
	26.02 टेलीफोन	5.63	5.84	8.00	5.86	6.25	7.00
	26.03 विज्ञापन	44.19	124.40	200.00	87.58	110.00	146.00
	26.04 डाक व्यय	1.48	1.33	1.50	1.49	1.60	2.00
	26.05 जलपान	1.66	2.27	2.50	1.81	2.00	3.00
	26.06 यात्रा व्यय	6.16	16.50	15.00	2.66	3.00	5.00
	26.07 विद्युत व्यय	2.95	2.59	7.00	2.45	3.00	4.00
	26.08 वर्दी						0.30
	26.09 कानूनी व्यय तथा कन्सल्टेन्सी	20.09	22.17	25.00	14.46	16.00	20.00

(रु० लाख में)

राजस्व व्यय

व्यय के शीर्षक	वास्तविक	वास्तविक	बजट अनुमान	अनन्तिम	पुनरीक्षित	प्रस्तावित
	2007-08	2008-09	2009-10	28.02.10तक	2009-10	2010-11
26.10 चिकित्सा सुविधा	1.44	0.26	1.00	0.23	1.05	2.00
26.11 कार्यालय उपकरणों की मरम्मत	2.22	1.95	3.00	1.25	1.25	2.00
26.12 कम्प्युटर रखरखाव	0.95	1.25	2.00	2.25	2.50	3.00
26.13 आडिट फीस (शासकीय)	10.92	9.00	15.00	1.85	10.00	10.00
26.14 आवास बन्धु अंशदान	0.00	0.50	-	0.50	0.50	0.50
26.15 एन०सी०आर०सैल (गोबाद)अंशदान	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50
26.16 उपायक्ष विवेकाधीन कोष	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	1.00
26.17 कार्यालय रखरखाव	0.00	7.59	-	4.41	5.00	5.00
26.19 मानदेय	0.81		0.50	0.10	0.23	0.50
26.20 अन्य व्यय	14.07	79.40	16.00	21.23	22.00	25.00
योग	121.53	288.92	319.50	164.15	204.18	258.80
27 बैंक गारन्टी कमीशन		67.42	-	46.65	46.65	50.00
28 अनुबन्धित टैक्सी किराया		22.48	-	9.17	10.50	12.00
29 सिक्योरिटी गार्ड पर व्यय		7.09	-	7.48	8.16	10.00
कुल राजस्व व्यय	262.49	562.42	578.30	525.49	592.02	758.80

पूंजीगत व्यय

(रु० लाख में)

क्र०स	मद	वास्तविक	वास्तविक	बजट अनुमान	अनन्ति	पुनरीक्षित	प्रस्तावित
		2007-08	2008-09	2009-10	28.02.10	2009-10	2010-11
31	भूमि अधिग्रहण एवं एल०ए०आर०	1446.26	10212.40	9,890.00	1762.57	1892.57	10009.55
	योग	1446.26	10212.40	9,890.00	1762.57	1892.57	10009.55
32	मशीनरी आदि का क्य						
	32.01 उपकरण एवं मशीनरी	36.95	13.52	20.00	0.78	0.78	2.00
	32.02 साफ्टवेयर विकास	2.87	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00
	32.03 जीप-कार का क्य	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1.00
	योग	39.82	13.52	60.00	0.78	0.78	23.00
33	विकास कार्य	433.48	1557.82	7,166.00	3822.68	4174.68	6029.00
34	अवस्थापना कार्य	251.27	569.92	609.00	434.23	484.23	684.23
35	निर्माण कार्य	43.02	140.31	400.00	369.13	409.13	1277.00
36	डिपाजिट कार्य	187.6	52.87	10.00	0.00	0.00	1.00
37	पूंजीगत कार्यो हेतु अग्रिम	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
38	ऋणों का प्रतिदान						
	38.01 शासन	389.33	542.25	42.87	0.00	42.87	42.87
	38.02 एन०सी०आर०पी०बी०	0.00	167.23	702.95	535.72	881.52	878.52
	38.03 बैंक / अन्य संस्था	240.38	6654.53	571.25	1971.49	1971.49	1000.00
	योग	630.31	7364.01	1317.07	2507.21	2895.88	1921.39
39	व्याज का प्रतिदान						
	39.01 शासन	56.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39.02 एन०सी०आर०पी०बी०		45.15	390.11	346.87	496.35	419.01
	39.03 बैंक / अन्य संस्था	0.33	209.61	411.42	0.00	0.00	200.00
	योग	56.77	254.76	801.53	346.87	496.35	619.01
40	पंजीकरण / किस्तो की वापसी	1653.36	3470.29	2012.00	3558.00	4058.00	1500.00
41	फर्नीचर एवं फिक्सचर	1.97	3.36	10.00	2.82	2.82	10.00
42	आई डी एस० एम० टी०	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल पूंजीगत व्यय	4757.39	23639.26	22285.60	12804.29	14414.44	22074.18

बजट पर संक्षिप्त टिप्पणी

प्राप्ति पक्ष— वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु राजस्व प्राप्ति मद में ₹0 2,033.00 लाख तथा पूँजीगत प्राप्ति मद में ₹0 18,269.00 लाख, कुल ₹0 20,302.00 लाख की प्राप्ति के लक्ष्य के सापेक्ष माह फरवरी 2010 तक राजस्व प्राप्ति मद में ₹0 1,734.25 लाख तथा पूँजीगत प्राप्ति मद में ₹0 7,523.58 लाख, कुल ₹0 9,257.83 लाख की प्राप्ति हुई। प्राप्ति कम होने का मुख्य कारण एन0 सी0 आर0 पी0 बी0, नई दिल्ली से ₹0 3,000.00 लाख का ऋण प्राप्त न होना एवं बल्क सेल में भूमि का विक्रय न होना रहा। वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु ₹0 10,890.90 लाख का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु ₹0 19,968.26 लाख की प्राप्ति का अनुमान है।

व्यय पक्ष— वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु राजस्व व्यय मद में ₹0 578.30 लाख तथा पूँजीगत व्यय मद में ₹0 22,285.60 लाख, कुल ₹0 22,863.90 लाख के व्यय के लक्ष्य से सापेक्ष माह फरवरी 2010 तक ₹0 525.49 लाख तथा पूँजीगत व्यय मद में ₹0 12,804.28 लाख का व्यय हुआ। व्यय कम होने का मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण के मद में व्यय कम होना रहा। अतः वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु ₹0 15,009.25 लाख का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु ₹0 22,832.98 लाख के व्यय का अनुमान है।

। ।

३

राजस्व प्राप्ति

- वित्तीय वर्ष 2009–10 में आवंटित भूखण्डों तथा 2010–11 में प्रस्तावित भूखण्डों के आवंटन से किस्तों के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि के साथ प्राप्त होने वाले ब्याज के मद में वर्ष 2009–10 में ₹0 180.00 लाख एवं वर्ष 2010–11 में ₹0 400.00 लाख की आय अनुमानित है।
- प्राधिकरण क्षेत्र में यूनीवर्सिटी, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज एवं निजी क्षेत्र में हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत कृषकों से सीधे भूमि क्य कर खोलने/विकास किये जाने के प्रस्ताव प्राधिकरण को प्राप्त हो रहे हैं, जिनसे विकास शुल्क के रूप में ₹0 600.00 लाख की आय वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुमानित है। इसके अतिरिक्त निरीक्षण शुल्क, मानचित्र शुल्क, शमन शुल्क, सुदृष्टीकरण शुल्क, मलवा चार्ज एवं मानचित्र शुल्क आदि से ₹0 460.00 लाख की आय वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुमानित है।
- आवंटित भूखण्डों के निबन्धन के समय लीज रेन्ट/फी-होल्ड, अनुरक्षण शुल्क, सीवर व वाटर कनेक्शन चार्ज तथा अनिर्माण शुल्क के रूप में वित्तीय वर्ष 2010–11 में ₹0 159.00 लाख की प्राप्ति का अनुमान है।
- स्टाम्प ड्यूटी से वित्तीय वर्ष 2009–10 में ₹0 681.03 लाख एवं वर्ष 2010–11 में ₹0 500.00 लाख की आय अनुमानित है।
- प्राधिकरण द्वारा विभिन्न बैंकों में एफ0डी0आर0 के रूप में निवेशित धनराशि से वित्तीय वर्ष 2009–10 में ₹0 156.00 लाख की आय अनुमानित है तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 में ₹0 200.00 लाख की आय का अनुमान है।

पूँजीगत आय

प्रीति विहार आवासीय योजना

प्रीति विहार आवासीय योजना में पूर्व में आंवटित भूखण्डो की किश्तों एवं फी-होल्ड शुल्क से वर्ष 2010-11 में ₹0 23.00 लाख की प्राप्ति सम्भावित है। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक भूखण्डों के विक्रय से ₹0 200.00 लाख की आय सम्भावित है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2010-11 में ₹0 223.00 लाख की धनराशि प्राप्त होने की सम्भावना है।

प्रीति विहार द्वितीय चरण आवासीय योजना

प्रीति विहार द्वितीय चरण आवासीय योजना में पूर्व में आंवटित भूखण्डो की किश्तों एवं फी-होल्ड शुल्क के रूप में ₹0 129.00 लाख की आय सम्भावित है तथा व्यवसायिक भूखण्ड, ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों एवं स्कूल भूखण्ड के विक्रय से ₹0 500.00 लाख आय प्राप्त होने की सम्भावना है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2010-11 में ₹0 629.00 लाख की धनराशि प्राप्त होने की सम्भावना है।

आनन्द विहार आवासीय योजना

आनन्द विहार आवासीय योजना में कुल विकसित किये जा रहे 3063 भूखण्डों में से 1857 भूखण्डों का आवंटन/आरक्षण किया जा चुका है तथा 753 भूखण्डों का आवंटन कृषकों हेतु किया जाना है। अवशेष 453 भूखण्डों का आवंटन वर्ष 2010-11 में किया जाना प्रस्तावित है। योजना में दुर्बल आय वर्ग के 133, निम्न आय वर्ग के 40 एवं स्ववित्तपोषित भवनों की किश्तों एवं बहुमंजिला बिल्डिंग में फ्लैटों के आवंटन से भी वर्ष 2010-11 में आय प्राप्त होगी। इस प्रकार आवासीय भूखण्डों एवं भवनों की किश्तों से ₹0 5313.00 लाख की आय वर्ष 2010-11 में होनी सम्भावित है। उक्त के अतिरिक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों, व्यवसायिक भूखण्डों, स्कूल भूखण्डों एवं बल्क सेल भूमि के विक्रय से वर्ष 2010-11 में ₹0 1400.00 लाख की आय प्राप्ति सम्भावित है। इस प्रकार आनन्द विहार आवासीय योजना से वर्ष 2010-11 कुल ₹0 6713.00 लाख की आय होने की सम्भावना है।

टेक्स्टाईल सेन्टर योजना

पिलखुवा में प्रोसेसिंग एवं विविंग इकाईयों की स्थापना हेतु प्राधिकरण द्वारा कुल विकसित किये जा रहे 196 भूखण्डों में से 98 भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं तथा शेष भूखण्डों के आवंटन हेतु पंजीकरण दिनांक 29/03/2010 तक खोला गया है, जिसका आवंटन वर्ष 2010-11 में किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में आवंटित भूखण्डों की किश्तों एवं नये आवंटन से प्राधिकरण को वर्ष 2010-11 में ₹0 1100.00 लाख की आय होने की

सम्भावना है। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक सम्पत्ति के विक्रय से ₹0 400.00 लाख की आय सम्भावित है। इस प्रकार टेक्सटाइल सेन्टर योजना से वर्ष 2010-11 में कुल ₹0 1500.00 लाख की आय प्राप्त होने की सम्भावना है।

प्रीत विहार विस्तार आवासीय योजना

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के कुल 203 भूखण्ड एवं 112 दुर्बल आय वर्ग भवनों का विकास/निर्माण किया जाना है, जिनके आवंटन हेतु पंजीकरण दिनांक 29/03/2010 तक खोले गये हैं। योजना में भूखण्डों एवं भवनों के आवंटन से वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत कुल ₹0 743.00 लाख की आय सम्भावित है।

इसके अतिरिक्त नई योजनाएँ गढ-बांगर आवासीय योजना एवं टेक्सटाइल सेन्टर आवासीय योजना से भी लगभग ₹0 1000.00 लाख की आय का अनुमान है। आनन्द विहार आवासीय योजना में युप हाउसिंग भूखण्ड पर प्राधिकरण द्वारा स्वयं बहुमंजिला फ्लैटों का आवंटन प्रस्तावित है, जिसके आवंटन/आरक्षण एवं किश्तों से वित्तीय वर्ष 2010-11 में ₹0 1292.00 लाख की प्राप्ति का अनुमान है।

राजस्व व्यय

- वर्ष 2010-11 में प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भत्ते के मद में ₹ 331.00 लाख का प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में इस मद में ₹ 270.00 लाख का व्यय अनुमानित है।
- वाहन मरम्मत व्यय एवं पट्रोल एवं अन्य तेल के लिए वर्ष 2009-10 में ₹ 14.30 लाख एवं ₹ 15.00 लाख का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2010-11 में किया गया है।
- प्राधिकरण द्वारा जोनल प्लान तथा आवासीय योजनाओं के सर्वेक्षण कार्य हेतु ₹ 25.00 लाख के व्यय का प्राविधान 2010-11 में किया गया है।
- कार्यालय प्रकीर्ण व्यय के मद में मुख्य रूप से प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी हेतु ₹ 20.00 लाख टेलीफोन हेतु ₹ 7.00 लाख, आडिट फीस (शासकीय) हेतु ₹ 10.00 लाख, कानूनी व्यय एवं कन्सलेन्सी ₹ 20.00 लाख तथा विद्युत/जनरेटर व्यय हेतु ₹ 4.00 लाख का प्राविधान किया गया है।
- विज्ञापन के मद में 2009-10 में पुनरीक्षित व्यय अनुमान ₹ 110.00 लाख है एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 में ₹ 146.00 लाख के व्यय का अनुमान किया गया है।

पूँजीगत व्यय

भूमि अधिग्रहण

वित्तीय वर्ष 2010-11 में आनन्द विहार द्वितीय चरण हेतु 58.193 हेक्टेयर, आनन्द विहर विस्तार योजना हेतु 57.9467 हेक्टेयर, टेक्सटाइल सेन्टर विस्तार योजना हेतु 25.2405 हेक्टेयर, टेक्सटाइल सेन्टर आवासीय योजना हेतु 37.5402 हेक्टेयर, 45 मी० चौडे बाईपास रोड हेतु 9.1220 हेक्टेयर, सरकुलेशन रोड-1 हेतु 2.2873 हेक्टेयर, सरकुलेशन रोड-2 हेतु 5.9496 हेक्टेयर भूमि हेतु ७० प्र० भू-अर्जन अधिनियम की धारा ४/१७ एवं ६/१७ की कार्यवाही करायी जानी प्रस्तावित है, जिस हेतु प्रतिकर की २० प्रतिशत धनराशि रु० ५६.५५ करोड़ जिलाधिकारी, गाजियाबाद कार्यालय में जमा होने का अनुमान है। वर्ष २००९-१० में लगभग रु० १९.०० करोड़ के भुगतान अनुमानित हैं। आनन्द विहार आवासीय योजना में भू-अर्जन प्रतिकर के मद में वर्ष २०१०-११ में अवशेष कृषकों के प्रतिकर वितरण हेतु रु० ५.०० करोड़, लेदर सिटी प्रथम चरण योजना में वर्ष २०१०-११ में अवशेष कृषकों के प्रतिकर वितरण हेतु रु० ४०.०० करोड़ एवं गढ़मुक्तेश्वर बांगर आवासीय योजना के अवशेष कृषकों के प्रतिकर वितरण हेतु वर्ष २०१०-११ में रु० ८.०० करोड़ का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार वर्ष २०१०-११ में कुल रु० १०९.५५ करोड़ व्यय का प्राविधान किया गया है।

मशीनरी आदि का क्य

वित्तीय वर्ष २००९-१० के पुनरीक्षित बजट में उपकरण एवं मशीनरी के क्य हेतु रु० ०.७८० लाख व्यय किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष २०१०-११ में उपकरण एवं मशीनरी के क्य हेतु रु० २.०० लाख, साफ्टवेयर विकास हेतु रु० २०.०० लाख तथा जीप-कार क्य हेतु टोकन मनी के रूप में रु० १.०० लाख का प्राविधान किया गया है।

विकास कार्यों पर व्यय

वित्तीय वर्ष २००९-१० में चल रहे कार्यों पर मार्च २०१० तक कुल ५०५६.०४ लाख रूपये के व्यय का अनुमान है। आनन्द विहार योजना के विकास कार्य प्रगति में है, जिस पर रु० ४९६५.२० लाख वित्तीय वर्ष २०१०-११ में व्यय किया जाना प्रस्तावित है। प्रीत विहार प्रथम चरण योजना में वर्ष २०१०-११ में रु० १२.५१ लाख का प्राविधान किया गया है। प्रीत विहार द्वितीय चरण योजना में वर्ष २०१०-११ हेतु रु० ४२.६१ लाख का प्राविधान किया गया है। टेक्सटाइल सेन्टर योजना हेतु वर्ष २००९-१० में रु० १२१२.७१ लाख का व्यय अनुमानित है तथा वर्ष २०१०-११ हेतु रु० १३०.०३ लाख का प्राविधान किया गया है। अवस्थापना निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले विकास कार्यों के अन्तर्गत वर्ष २००९-१० में रु० ६१६.७१ लाख व्यय अनुमानित है। वर्ष २०१०-११ हेतु नये कार्यों पर विकास कार्यों के मद में रु० १०००.०० लाख तथा अवस्थापना कार्यों पर रु० २००.०० लाख का प्राविधान किया गया है।

निर्माण कार्य

वित्तीय वर्ष 2009–10 में स्वीकृत कार्यों हेतु वर्ष 2010–11 में कुल 327.00 लाख तथा दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण हेतु ₹ 0 450.00 लाख का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त आनन्द विहार योजना में बहुमंजिला इमारत के निर्माण का भी प्राविधान है, जिसके लिये कन्सलटेंट का चयन कर लिया गया है। बहुमंजिली इमारत के निर्माण पर वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुल ₹ 0 800.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

ऋण एवं अग्रिम

प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में प्रीत विहार आवासीय योजना हेतु कुल 1003.39 लाख, शासन से 428.70 लाख तथा आनन्द विहार आवासीय योजना हेतु एन०सी०आर० प्लानिंग बोर्ड से 5000.00 लाख तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से 5000.00 लाख का ऋण लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2009–10 ऋणों के प्रतिदान हेतु ₹ 0 3392.23 लाख तथा वर्ष 2010–11 हेतु ₹ 0 2540.40 लाख का प्राविधान किया गया है। विस्तृत विवरण पृष्ठ संलग्न है।

आवंटियों को सम्पत्ति धन वापसी

प्रीत विहार विस्तार आवासीय योजना, आनन्द विहार आवासीय योजना, पूर्व में चल रही अन्य योजनाओं एवं टेक्सटाइल सेन्टर योजना के असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि एवं आवंटन निरस्त किये गये/रिफण्ड वाले आवंटियों की धनराशि वापस किये जाने के मद में वर्ष 2009–10 में ₹ 0 4058.00 लाख का व्यय अनुमानित है एवं वर्ष 2010–11 हेतु इस मद में ₹ 0 1500.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

हायुड-पेलखुवा विकास प्राधिकरण, हायुड

दिनांक 31.03.2010

प्राप्त ऋण एवं प्रतिदान का विवरण

(रु० लाख में)

क्र सं	शासनादेश व दिना	राज्यसरकार/ एन०सी०आर०	प्राप्त ऋण	देय धनराशि		भुगतान की गयी धनराशि	अवशेष मूलधन	अतिदेय धनराशि		2010-11 में देय
				मूलधन	ब्याज			मूलधन	ब्याज	
1	शा.सं. 218/9-आ-96 एन.सी.आर.दि० 18.11.96 (फल एवं सब्जी मण्डी हेतु) (ब्याज की दर-14.50 प्रतिशत)	राज्य सरकार	530.00	530.00	714.57	530.00	714.57	-	-	पूर्ण भुगतान
2	शा.सं. 1766/9-आ-97 एन.सी.आर.दि० 03.03.97 (फल एवं सब्जी मण्डी हेतु) (ब्याज रहित)	राज्य सरकार	132.50	132.50	-	132.50	-	-	-	पूर्ण भुगतान
3	शा.सं. 72/9-आ-97 एन.सी.आर.दि० 03.03.97 (प्रीत विहार योजना हेतु) (ब्याज रहित)	राज्य सरकार	477.37	477.37	-	477.37	-	-	-	पूर्ण भुगतान
4	शा.सं. 1561/9-आ-38 एन.सी.आर.दि० 31.03.2001 (प्रीत विहार योजना हेतु) (ब्याज रहित)	राज्य सरकार	428.70	257.22	-	257.22	-	171.48	-	मार्च 2011 मूलधन-42.87
5	स०आई-12012 (16) उत्तर प्रदेश (हायुड)/1995-96 दिनांक 28.03.2005 (प्रीत विहार योजना हेतु) (ब्याज की दर- 7.00)	एन०सी०आर०	1003.39	668.92	270.91	668.92	270.71	334.47	-	24 मार्च 2011 मूलधन- 167.23 ब्याज- 22.58
6	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण दिनांक 29.10.07 (आनन्द विहार योजना हेतु) (ब्याज की दर- 9.00 प्रतिशत)	गा० वि० प्रा०	5000.00	5000.00	192.70	900.00	24.01	4100.00	4100.00	ब्याज का निर्णय विचाराधीन है।
7	आई 12012(22) उ०प्र० (हायुड)/2007-08 दिनांक 06.12.2007 आनन्द विहार आवासीय योजना (ब्याज की दर 9.50 प्रतिशत)	एन०सी०आर०	3750.00	535.72	346.87	535.72	346.87	3214.28	-	10 अगस्त 10 मूलधन-535.72 ब्याज-297.32
8	आई 12012(22) उ०प्र० (हायुड)/2007-08 दिनांक 23.03.09 आनन्द विहार आवासीय योजना (ब्याज की दर 9.50 प्रतिशत)	एन०सी०आर०	1250.00	178.57	115.62	178.57	115.62	1071.43	-	23 मार्च 2011 मूलधन 178.57 ब्याज 99.11
	योग-		12571.96	7780.30	1640.67	3680.30	1471.98	8891.66	4100.00	168.69 1343.40

हापुड़—पिलखुवा विकास प्राधिकरण

भू-अर्जन संबंधी विवरण

क्रम सं०	योजना का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	दर (₹० प्रति वर्ग मी०)	कुल प्रतिकर (₹० करोड़ में)	पूर्व में भुगतान (₹० करोड़ में)	वर्ष 2009–10 (₹० करोड़ में)	वर्ष 2010–11 (₹० करोड़ में)	वर्ष 2011–12 (₹० करोड़ में)
1	आनन्द विहार योजना	181.3080	800.00	130.00	112.35	2.00	5.00	11.00
2	लेदर सिटी प्रथम चरण योजना	82.0000	800.00	59.00	2.00	8.00	40.00	8.00
3	गढ़मुक्तेश्वर बांगर आवासीय योजना	34.0000	600.00	18.36	0.67	7.54	8.00	2.00
4	आनन्द विहार द्वितीय चरण योजना	58.1930	-	-	-	-	14.87	-
5	आनन्द विहार विस्तार योजना	57.9467	-	-	-	-	14.81	-
6	टेक्सटाइल सेन्टर विस्तार योजना	25.2405	-	-	-	-	8.00	-
7	टेक्सटाइल सेन्टर आवासीय योजना	37.5402	-	-	-	-	11.84	-
8	45 मी० चौड़ा बाईपास रोड़	9.1220	-	-	-	-	2.33	-
9	सरकुलेशन रोड-1	2.2873	-	-	-	-	0.58	-
10	सरकुलेशन रोड-2	5.9496	-	-	-	-	0.79	-
11	ग्रीन बैल्ट सबडी	13.0559	-	-	-	-	3.33	-
	योग	506.64		207.36	115.02	17.54	109.55	21.00

मद सं0— 04

विषय: अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।